... बनाम सरकार

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 396/13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	22/5/19	... स्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ......हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 12-6-19 को पेश हो। (रीडर)
	12/6/19	वकील वा.दी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली पूर्व गत आदेश की पालना में दिनांक 24/7/19 को पेश हो।
	24-7-19	वकील वादी उपस्थित। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 6/9/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
	6-9-19	वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. सा. जयपुर मीटिंग में हैं। पत्रावली पूर्व गत आदेश की पालना में दिनांक 11-9-19 को पेश हो।
	11.9.19	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19.9.19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
	19.9.19	वकील वादी उप.। वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर० ए० एस०

वाद संख्या :- 396/2013.

उनवान

1. बाबूलाल
2. शंकरलाल / पि० स्व० श्री बालूराम वयस्कान जाति रैगर निवासी वार्ड नम्बर-29 अम्बेडनगर, मनोहरपुर तह० शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

...वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

...प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

=0=

उपस्थिति :-

1. श्री रामगोपाल गुप्ता, अधिवक्ता वादीगण
2. पेशकार सरकार

दिनांक 19-9-19

निर्णय

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के तथ्य संक्षेप में यह है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मनोहरपुर की खातेदारी पूर्व में वादीगण के दादा जौता पुत्र बिशना के नाम थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता बालूराम पुत्र जौता के नाम दर्ज रिकार्ड हुई, जिनकी जमाबन्दी तफ वाद पत्र पेश है।

2. सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान वादीगण एवं उनके बुजुर्गों

जबकि वादीगण कदीम से अपने पूर्वजों के समय से ही सम्पूर्ण खातेदारी के रकबा 0.52 है० पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी विधिक अधिकार के इनकी खातेदारी का रकबा 0.20 है० कम करके नया खसरा नम्बर 1568 कायम कर सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया, जबकि इन्हे केवल पूर्व सेटलमेन्ट की इन्द्राजात खातेदारी की पुनरावृति करनी चाहिए थी।

3. वादीगण ने कई बार प्रतिवादी से राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहले तो टालमटोल करते रहे व अन्त में दिनांक 7/9/2013 को स्पष्ट इन्कार कर दिया और वादीगण को उनके कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि के गलत इन्द्राजात सरकारी सिवायचक भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी ऐसा करने में कामयाब हो जावेगा तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी धनराशि में किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

4. बालूराम पुत्र जैतराम की वारिस वादीगण की बहिन प्रेमदेवी ने दिनांक 8/9/2013 को वादीगण के ~~हिस्से के~~ हक में अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग कर दिया। इस कारण वादीगण अपने हक में खातेदारी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

5. प्रतिवादी लोक सेवक है व उनके विरूद्ध वाद दायरी से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सी०पी०सी० के तहत प्रथक से छूट प्राप्त करली है। दावा अन्दर मियाद है एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे तथा हर्जा खर्चा प्रतिवादी से दिलवाया जावे अथवा अन्य सहायता जो बहक वादीगण व बखिलाफ प्रतिवादीगण उचित हो प्रदान की जावे।

6. दावा पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता की गयी तथा दावा काबिले समाअत होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सुनवाई के लिए जर्ये समकनतल्की जारी करवाई गयी।

7. प्रतिवादी की ओर से जरिये पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर वादीगण का दावा मय हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

8. जवाब दावा प्रस्तुत होने पर वाद के विधिवत विस्तारण हेतु निम्नांकित तनकीयात कायम की जाकर पवावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गयी:-

तनकी संख्या 1:- आया खा०ख०नं० 1567/0.32 हे० 1568 में से 0.20हे० भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करने व रिकार्ड में अमल करने के अधिकारी है।

...जिम्में वादीगण

तनकी संख्या:- आया वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि में से जबरन बेदखल नहीं करें/शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

...जिम्में वादीगण

तनकी संख्या 3:- अनुतोष?

9. वादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी कजूलाल ने अपने स्वयं के व गवाह न्धोकल पुत्र सूरजाराम रैगर के बयानों पर शपथ-पत्र पेश किया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में नकल जमाबन्दी साबिक व हाल, मिलान खसरा, नक्शा ट्रेस हाल व साबिक तथा कुर्सीनामा व मृत्यु प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां पेश की।

10. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार ने बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधी ही बहस समाअत करने की प्रार्थना की जाने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

11. बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड शहादत को इंगित करते हुए दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

दर्शा के बाबत तथ्यों का वर्णन करते हुए दावा अस्वीकार कर खारिज करने की गुजारिश की।

13. हमने उभयपक्षों के अभिवचनों पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यों व प्रस्तुत रिकार्ड शहादत का अवलोकन कर मनन किया। तदनुसार निष्कर्ष निम्न प्रकार निकलता है।

14. <u>तनकी संख्या 1:-</u> इस तनकी को साबित करवाने का भार वादीगण पर था। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा मिलान सेटलमेन्ट से उक्त साबिक खसरा नम्बर 1040/5 से हाल आराजी खसरा नम्बर 1067/0.32 हैक्टर बरामद होना प्रमाणित है। जबकि मैट्रिक प्रणाली से साबिक रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का हाल रकबा 52.5 एयर बनता है, जिसके मुकाबिले वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 1067/0.32 हैक्टर यानि 20.5 एयर भूमि कम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रकट होती है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनका कमी रकबा हाल खसरा नम्बर 1568/0.63 है के रकबे में सम्मिलित कर राजकीय भूमि सिवायचक गलत रूप से दर्ज कर दी गयी। लेकिन मिलान सेटलमेन्ट से हाल खसरा नम्बर 1568/0.63 है साबिक खसरा नम्बर 1040/2 से बरामद होना प्रमाणित होता है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 1040/2 का साबिक कुल रकबा कितना था, इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड दस्तावेजात पेश नहीं किये गये हैं एवं ना ही यह वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है उक्त साबिक खसरा नम्बर 1040/2 के साबिक रकबे के मुकाबिले हाल रकबा कितना अधिक दर्ज राजस्व रिकार्ड किया गया। नक्शा ट्रेस हाल व साबिक के मीलान से भी वादीगण के कमी रकबे के हाल खसरा नम्बर 1040/2 से बरामद हुए हाल खसरा नं. 1563/0.63 के रकबे में सम्मिलित होने की ताईद नहीं होती है। साबिक

- 5 -

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

नम्बरान हैसियत में साबिक खसरा नम्बर 1040 का उल्लेख है, उक्त खसरा नम्बर का कुल रकबा कितना है, इसके सम्बन्ध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त मूल साबिक खसरा नम्बर 1040 से बने बटानम्बर 1040/5 व 1040/2 व अन्य साबिक खसरा नम्बरान कहां कहां स्थित है, इस बाबत पत्रावली पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी का कमी रकबा सा० खसरा नम्बर 1040/2 के रकबा से कम हाल खसरा नम्बर 1068/0.63 हे० के रकबे में ही समाहित है के सम्बन्ध में कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है। यह सही है कि वादीगण की खातेदारी के साबिक रकबे के विपरीत हाल रकबा 0.20 हे० हाल राजस्व अभिलेख में कम दर्ज किया गया है लेकिन यह कमी रकबा वास्तविक रूप से किस हाल आराजी खसरा नम्बर के रकबे में सम्मिलित होकर किनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने में वादीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता पूर्णतया विफल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करने में हम असमर्थ हैं। लिहाजा यह तनकीह खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

15. तनकीह संख्या 2:- इस तनकीह को सिद्ध करवाने का भार भी वादीगण पर ही था। वादीगण व उनके योग्य अधिवक्ता ने हाल आराजी खसरा नम्बर 1568/0.63 हे० के रकबे में से साबिक खातेदारी के अनुरूप 0.20 हे० रकबे पर अपने भौतिक रूप से कब्जे खातेदार काश्तकार होने के अभिवचनों को अपनी मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेखीय रिकार्ड दस्तावेजात से प्रमाणित करवाने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः यह तनकीह भी खिलाफ वादीगण निर्णीत की जाती है।

15. अनुतोष?

उपर्युक्त तनकीयात के विवेचन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने मुकदमे की एक भी तनकीयात सिद्ध करवाने में

396/2013

सफल नहीं रहे है। इसलिए वादीगण का दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

16. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा पक्षसिद्धि के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

17. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान